R- 291 -I/2005

R 291- I/2005

कार्यालय कलेक्टर
जिला रीवा (म० प्र०)
2 MAR 2005
कलेक्टर

1. सत्यप्रकाश दुबे तनय श्री मोहनलाल दुबे
2. श्रीमती उर्मिला दुबे पत्नी श्री मोहनलाल दुबे

निवासी गण जय कुन्ज, शिवनगर रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

..........आवेदकगण

ब ना म

1. श्रीमती मीनाक्षी दीक्षित पत्नी श्री अशोक कुमार दीक्षित, निवासी कोठी रोड रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म. प्र.
2. रामशिरोमणि गौतम } पुत्रगण बल्देव प्रसाद गौतम, शिवनगर तहसील-
3. रामलाल गौतम } हुजूर जिला रीवा म. प्र.
4. उमेश कुमार शुक्ला तनय श्री सूर्यमणि शुक्ला निवासी बोदा तहसील- हुजूर जिला रीवा म. प्र.
5. म. प्र. शासन

..........अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 22-11-04 प्र. क्रं.-306/अपील/03 ---

- - - - - - - - - - - - - -

क्रमांक 11963
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 7-3-05 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि अनावेदिका क्रं.-1 द्वारा अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष 107(5) म.प्र. भू राजस्व संहिता का आवेदन पत्र विवादित भूमि के नक्शा सुधार किये जाने बावत् प्रस्तुत किया जिसमें अपर कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण को तहसीलदार महोदय के समक्ष नक्शा तर्मिम किये जाने हेतु कार्यवाही करने के लिये भेज दिया जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा अधिकारिता विहीन आदेश पारित करके विवादित भूमि का नक्शा तर्मिम आदेश दिनांक 5-4-0 को पारित किया जिसकी न तो अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पुष्टि की गई

राजस्व मण्डल
आ. क्र. 434
दिनांक 7-3-05

क्रमशः 2.........

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 291–एक/2005 जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16–03–2017 | उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।<br>2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 107 कें अन्तर्गत नक्शे में हुई त्रुटि को सुधारने के अध्किार कलेक्टर को प्रदत्त हैं। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया जाना चाहिए था। कलेक्टर ने अपने प्रकरण कमांक 15/अ–74/01–02 में दिनांक 30–6–03 को आदेश पारित कर तहसीलदार को आदेश पारित करने के निर्देश दिये हैं जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 5–4–04 को नक्शा सुधार के आदेश दिये हैं जो क्षेत्राधिकार के बाहर है, जिसे अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनांक 5–4–04 द्वारा स्थिर रखने में त्रुटि की है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर एवं तहसीलदार के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वे राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 01–2–02 को दृष्टिगत रखते हुये उभय पक्ष की सुनवाई कर प्रकरण में विधिसंत आदेश पारित करें। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी अधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 22–11–2004 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |